उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून

समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के अन्तर्गत अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0 11942/उप्राशिप/स0ग0भ0–प0को0 266/अ0सत्या0/2016–17 दिनांकः 16/02/2017

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 4057/उप्राशिप/स0ग0भ0प0/2014 दिनांक. 8/2/14, 4063/उप्राशिप/स0ग0भ0प0/2014 दिनांक. 9/2/14 एवं 4070/उप्राशिप/ स0ग0भ0प0 /2014 दिनांक. 10/2/14 के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 21 दिसम्बर 2014 को किया गया। लिखित परीक्षा के उपरान्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 10 अप्रैल 2015 को प्रातः 11.00 बजे 'उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर देहरादून' में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन के उपरान्त विज्ञापन सं0 54/उप्राशिप/स0ग0भ0 –प0को 266/अ0च0परि0/2015–16 दिनांक 13/4/2015 के माध्यम से 32 रिक्तियों के सापेक्ष 31 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की गयी। 1 अनुपस्थित अभ्यर्थी के सापेक्ष अभ्यर्थी को विज्ञापन सं0 4023/उप्राशिप/स0ग0भ0–प0को0 266/अ0सत्या0/2015–16 दिनांकः 21/11/2015 के माध्यम से अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित कर चयन की संस्तुति की गयी। निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र सं0 4532/स0क0/स0स0क0अधि0/चयन संस्तुति/2016–17 दिनांक 8 फरवरी 2017 के क्रम में कार्यभार न ग्रहण करने के कारण सामान्य श्रेणी के 2 रिक्त पदों पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 28 फरवरी 2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया जाता हैः–

पदकोड– 266 पदनाम : सहायक समाज कल्याण अधिकारी

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी/	उप श्रेणी	अनुक्रमांक	प्राप्तांक
1.	RAKESH CHANDRA JOSHI	02-07-1983	GEN		3661516036	92.5
2.	RAMAKANT BISHT	15-09-1986	GEN		3662353636	92.5

उपरोक्तानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार समस्त अभिलेख सहित दिनांक 28 फरवरी 2017 को प्रातः 11.00 बजे उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया जाता हैः–

1. उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2–2 छायाप्रति एवं मूल प्रति। (आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 से पूर्व का जारी हो।)
2. समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं अंकतालिकाओं की 2–2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
3. पद हेतु वांछित अनुभव की 2–2 छायाप्रतियां एवं मूल प्रतियां।
4. समस्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (आरक्षित वर्ग GEN(WO), OBC, SC,ST (WO) के अभ्यर्थियो हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है) की 2–2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
5. केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रतियां।
6. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो नवीनतम फोटोग्राफ।
7. लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र मूल रूप में।
8. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में (परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर प्रारूप उपलब्ध है)।

परिषद् द्वारा आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश पत्र जारी किये गये हैं अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वे पद हेतु समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं अथवा नहीं। पदों हेतु विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक एवं अनिवार्य अर्हतायें निम्नवत हैंः–

अनिवार्य अर्हताः पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

न्यूनतम शैक्षिक अर्हताः– किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

आयुः उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी आयु सीमा सम्बन्धी नियमावली के अनुसार सेवा में पद हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। पद हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। आयु की गणना 1 जनवरी 2014 को की जायेगी।

नोटः– अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से परिषद कार्यालय में सम्पर्क न करें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अवलोकन अवश्य कर लेवें। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम रूप से नियुक्ति होना नहीं है।

सचिव